न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–22.05.19

मिशल संख्या 21/2019

उनवानी प्रार्थना पत्र :

बुद्धिप्रकाश पुत्र घासीलाल जाति खटीक निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षीगण–

उपस्थिति :–

श्री बी. पी. विजयवर्गीय
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी
लैण्ड होल्डर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए टीनेन्सी एक्ट</u>

प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 40 खसरा नम्बर 493 रकबा 1.45है0 कुल किता– 1 कुल रकबा 1.45 है0 वाके तनग्राम विजयगढ पटवारी हल्का बंथली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पहले अडवा राजकीय अप्रार्थी की सिवायचक भूमि आराजी खसरा नम्बर 502 रकबा 2.10 है0 तनग्राम विजयगढ पटवार हल्का बंथली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि मे से ही होकर खसरा नम्बर 491 के मेड के अडवा प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में आता–जाता रहा है तथा काश्तकारी कार्य करता है, लेकिन विधिवत् रूप से रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। इस कारण प्रार्थी को उक्त सिवायचक भूमि में से करीब 30 फिट रास्ता दिलवाना आवश्यक है। जिसके लिए प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार की ओर से जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमे वाद को स्वीकार करते हुए लिखा कि आवेदक खसरा नम्बर 502 में से रास्ता चाहता है जो राजस्व रिकार्ड में राजकीय सिवायचक भूमि अंकित है।

बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा. पत्र के बिन्दुओ को ही दोहराया तथा कथन किया कि तहसीलदार दूनी ने भी अपनी रिपोर्ट में रास्ते को आत्यंतिक व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता

नहीं होना बताया है। अतः तहसीलदार दूनी रिपोर्टानुसार व नियमानुसार डी. एल. सी. दरानुसार रूपये जमा कर रास्ता तरमीम करवावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी ने प्रा. पत्र पर कोई आपति प्रकट नहीं की। तहसीलदार दूनी के जवाब/रिपोर्ट दिनांक 26.03.19 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर को जिसमें से रास्ता चाहा गया है को लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़, दीवार, संरचना नहीं है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 को रास्ते हेतु कोई आपति नहीं है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2073–76 नक्शा ट्रेस, व तहसीलदार देवली की की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि में जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट दिनांक 26.03.19 के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 130 मीटर एवं चौड़ाई 9.15 मीटर (30 फीट) अर्थात कुल 1190 वर्ग मी होगी। प्रार्थी ने भी 30 फीट चौड़े रास्ते की प्रार्थना की है । तहसीलदार दूनी की उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए मौके व रिकॉर्ड के अनुसार अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

अतः तहसीलदार दूनी की अभिशंषानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 493 में आने जाने हेतु चौड़ाई 9.15 मीटर (30 फीट) और 130 मी. लम्बाई अर्थात 1190 वर्ग मीटर के अनुसार गणना करते हुए वर्तमान डी. एल. सी दर की दुगनी प्रतिकर राशि राजकोष में जमा कराने पर सिवायचक काबिल काश्त ख. नं. 502 वाके ग्राम विजयगढ में से रास्ते का तहसीलदार दूनी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 22.05.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)